

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : DATA RAMGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 04-08-2021 2:47 PM

Fee Receipt No	: 2021024970028/8	Receipt Date	: 04/08/2021
Name	: SDM DANTARAMGARH,	Document S. No.	: 202101497002852
Address	:		
Document Type	: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 under 90A		
Face Value	: ₹ 29028	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 291	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 522	Stamp Duty	: ₹ 1742
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2755
		Total Amount	: ₹ 2755

Mode of Payment (#Mode Number Amount#)

e-Gras Challan 52187169 ₹ 2755

Signature of presenter or applicant for
copy of Search certificate

Ravi

Signature of recipient
and date of receipt

डा. रामगढ़ (सी.के.)

SUB-REGISTRAR





GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE DEPARTMENT

FORM-D

[See Rule 10(4)]

Office of Prescribed Authority: **SUB DIVISIONAL OFFICER, DANTARAMGARH**

Certificate Ref. No: PCCL/2021-22/100304

Date: 28-07-2021

REVISED CONVERSION ORDER

On the application of **REHAN PUBLIC SHIKSHAN SANSTHA DANTA** of village **DANTA (CT)** Tehsil **DANTA RAMGARH**, the agricultural land already converted for a non-agricultural purpose is here by converted for revised non-agriculture purpose under rule 10(4) of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under:

- Names of applicant tenants/ co-tenants: **REHAN PUBLIC SHIKSHAN SANSTHA DANTA**
- Father's/husband's name: **JARIYE SACHIV PRAKASH CHAND BHAKAR**
- Complete Address: **,,,RAJASTHAN-332702**
- Mobile Number: **9636189960**
- Email Id (if any): **PRAKASHBHAKAR11@GMAIL.COM**
- Social Category (SC/ST/GEN etc...): **OBC**
- Purpose of original conversion: **INSTITUTIONAL PURPOSE & MEDICAL FACILITIES**
Number and Date of the order: **BHU.RU./2014/RAJASW, 4/21/2014**
- Revised Purpose of conversion: **INSTITUTIONAL PURPOSE & MEDICAL FACILITIES**
- Details of the Land converted:
 - Name of the District/ Tehsil/ Village : **SIKAR/ DANTA RAMGARH/ DANTA (CT)**
 - Khasra No. of the land : **2595/1296,2596/1296**
 - Area of each Khasra No. (in square meter): **2400,2400**
 - Area converted of each Khasra No. (in square meter): **2400,2400**
 - Area converted (in sq. meter): **4800**
- Rate of conversion payable on original conversion (₹): **5/-**
- Amount of premium deposited with original conversion (₹): **24000/-**
- Rate of conversion charges payable on revised conversion (₹): **10.11/-**
- Amount of premium deposited (₹) with revised conversion, date and no. of challan: **5028/-, 28/07/2021, 21367802804**
- Amount of penalty deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**
- Amount of interest deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**
- The above conversion order shall be subject to the following conditions:-
 - The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural purpose. without obtaining prior permission of the Prescribed Authority.
 - If the applicant fails to use the land for the revised converted purpose within a period of 2 years from the date of issue order, money deposited by the applicant shall be forfeited.
 - No land as mentioned in rule 4 shall be used for any non-agricultural purpose.
 - No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non-agricultural purpose without valid permission from the Prescribed Authority.



[Handwritten Signature]

Signature valid

Digitally Signed by Ashok Kumar
Designation : SUB DIVISIONAL OFFICER
DANTARAMGARH
Date: 2021.07.28 10:56 IST
Reason: Approved
Location: SIKAR

Note: This is a digitally signed certificate and does not require any physical signature.

[Handwritten Signature]
उप पंजीयक
दंतारामगढ़, सीकर

Copy to:-

- the purpose of land converted to residential to institutional



-sd-

(SUB DIVISIONAL OFFICER,
DANTARAMGARH)



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]
उप पञ्जीयक
दन्तारामगढ़, सीकर

Note: This is a digitally signed certificate and does not require any physical signature.

आशीकं नवरा नकल ग्राम दातां

तहसील - दातेरामगढ.

जिला - सीकर (राज.)

— X —



2594 1236	2595 1236
2593/1236	
1296/5	
2596/1236	



353 भाग 4064 पर दफ्त
29/6/2024
सल-प्रतिलिपि

[Signature]
29.06.2024
रजिस्ट्रार

C.S
2A

तहसील दातेरामगढ (सीकर) राज.

शामिल रहे

[Signature]
उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
दातेरामगढ (सीकर)



Presentation Endorsement

आज दिनांक 04 माह 08 सन् 2021 को 02:42 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री REHAN PUBLIC SHIKSHAN SANSTHAN DANTA C/O
PRAKASH CHAND BHAKAR पुत्र/पुत्री/पति श्री RAMDEV SINGH
BHAKAR
उम्र 41 वर्ष, जाति 0-JAT, व्यवसाय Business
निवासी House No.:00, Colony: WARD NO.36 SHEKHAWATI
COLLEGE SHIV MANDIR SIKAR, Area: WARD NO 36
SHEKHAWATI COLLEGE SHIV MANDIR SIKAR, City: SIKAR, Pin
Code: 332001, District: SIKAR, State: RAJASTHAN
मेरे सम्मुख दर्शाये गये पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202101497002852



उप पंजीयक
दत्ता रामगढ़, सीकर
DATA RAMGARH

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202102497002878
दिनांक	04-08-2021
पंजीयन शुल्क ₹	291
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1742
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	522
कुल योग	2755

202101497002852


उप पंजीयक
दत्ता रामगढ़, सीकर
उप पंजीयक, DATA RAMGARH

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956



Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री SDM DANTARAMGARH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SDM, अबसाय जाति Anya Sarkari Upkram			Executant Age : 0 Signature :
2 श्री/श्रीमती/सुश्री REHAN PUBLIC SHIKSHAN SANSTHAN DANTA C/O PRAKASH CHAND BHAKAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMDEV SINGH BHAKAR, अबसाय Business जाति 0-JAT House No.:00, Colony: WARD NO 36 SHEKHAWATI COLLEGE SHIV MANDIR SIKAR, Area: WARD NO 36 SHEKHAWATI COLLEGE SHIV MANDIR SIKAR, City: SIKAR, Pin code: 332001, District: SIKAR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 41 Signature :

ने लेख्यपत्र The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 को पट्ट मुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 29028/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 29028/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ASHISH SHARMA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GYAN CHAND SHARMA जाति BRAHIMIN Age: 23 Add: House No.:00, Colony: JHUNJHUNUN, Area: JHUNJHUNUN, City: JHUNJHUNUN, Pin code: 333001, District: JHUNJHUNUN, State: RAJASTHAN			Signature
2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री BUDH PRAKASH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ONKAR MAL जाति JAT Age: 41 Add: House No.:00, Colony: KHINWASAR, Area: KHINWASAR, City: SIKAR, Pin code: 332316, District: SIKAR, State: RAJASTHAN			Signature

202101497002852

उप पंचायक
उप पंचायक, DATA
RAMGARH, SIKAR

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 29028 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 1742 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 291, सरचार्ज राशि 522 कुल रू 2555 रसीद संख्या 202102497002878 दिनांक 04-08-2021 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रू 1742 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202101497002852

उप पंजीयक,
दस्तावेज, सीकर
RAMGARH

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

Registration Endorsement

आज दिनांक 04/08/2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 551 में पृष्ठ संख्या 127 क्रम संख्या 202103497101717 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2400 के पृष्ठ संख्या 219 से 223 पर चस्पा किया गया।

202101497002852

उप पंजीयक,
दस्तावेज, सीकर
DATA RAMGARH

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.एम.) दांतारामगढ(सीकर)

कमाक/भूरू./2014/राजस्व/

दिनांक:-26.06.2014

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र राजकुमार नायक जाति नायक निवासी अणगासर रोड, झुन्झनू जिला झुन्झनू (राजस्थान) के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू, राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

1	आवेदक खातेदार अभिघारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	श्री सुनील कुमार पुत्र राजकुमार नायक जाति नायक निवासी अणगासर रोड, झुन्झनू जिला झुन्झनू (राजस्थान)		
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	हां		
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम दांता ग्रा.पं. दांता तह. दांतारामगढ(सीकर)		
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर)	खसरा नम्बर 1296/1/2 रकबा 0.24 है.		
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर)	ख.न.	रकबा	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि (व. मीटर)
		1296/1/2	0.24	2400
		Total	0.24	2400
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संपरिवर्तित भाग को संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित किया गया है जो संपरिवर्तन का भाग है।		
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (ईकाई)		
5	संदेय प्रीमियम की दर	5 रुपये प्रति वर्गमीटर से रुपये 12000-		
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चा.सं. 158 दिनांक 18.06.2014 से रुपये 12000- जीएनआर संख्या 3664625 दिनांक 06.06.2014		
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-		
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-		
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	हां		
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	नेशनल रोड काग्रेस के नियमानुसार सड़क सीमा छोड़कर निर्माण कार्य किया जावेगा।		

उप खण्ड अधिकारी2.....
दांतारामगढ

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा :-

- 1 इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
- 2 संबधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
- 3 यदि प्रार्थी इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सडक मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडकों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- 4 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24-02-05 एवं परिपत्र क्रमांक f-2(8) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर dt. 20-11-04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
- 5 The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
- 6 No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
- 7 No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
- 8 If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 2 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
- 9 मुख्यमंत्री हरित राजस्थान योजना के तहत पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए प्रस्तावित खाली भूमि पर पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य होगा।
- 10 राज्य सरकार के निर्देशानुसार भविष्य के लिए जल संचय हेतु भवन निर्माण के समय वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।

उपखण्ड अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ)

दिनांक:-26.06.2014

क्रमांक/भूमि रूपा./2014/राजस्व/ 2489-93

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,सीकर।
- 2 तहसीलदार ,दांतारामगढ।
- 3 ग्राम पंचायत दांता ।
- 4 पटवारी हल्का दांता तह. दांतारामगढ।
- 5 श्री सुनील कुमार पुत्र राजकुमार नायक जाति नायक निवासी अणगासर रोड, झूझनू जिला झूझनू (राजस्थान)
- 6 रक्षी पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

दिनांक 26.06.2014

को प्रेषित किया गया। तथा प्राथमिक प्रेषक त. विवरण सं. 20/23/2014

प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ)

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर)सीकर

क्रमांक:-एफ.16(b)भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/07/

दिनांक 21/सितम्बर, 2007

संपरिवर्तन आदेश

रेहान पब्लिक शिक्षण संस्थान दांता जरिये अध्यक्ष, श्री पुखराज पुत्र तुलसीराम एवं सचिव, रामनिवास पुत्र रामलाल निवासी कुचामन हाल आबाद दांता के आवेदन पर एवं उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज0 जयपुर से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक प.2 (110)राज/भू.रू./07 जयपुर, दिनांक 21.7.07 एवं संशोधन आदेश प.2 (110)राज/भू.रू./07 जयपुर, दिनांक 12.9.2007 के अनुसरण में आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन)नियम,2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है-

1.	आवेदक खातेदार अभिघारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	:	रेहान पब्लिक शिक्षण संस्थान दांता जरिये अध्यक्ष, श्री पुखराज पुत्र तुलसीराम एवं सचिव, रामनिवास पुत्र रामलाल निवासी कुचामन हाल आबाद दांता
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	:	
	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	:	ग्राम दांता, तहसील दांतारामगढ
	(ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में).	:	ख.न. 1296/5 रकबा 0.25 हेक्टेयर सम्पूर्ण
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	:	ख.न. 1296/5 रकबा 0.25 हेक्टेयर सम्पूर्ण
	टिप्पणी :- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।).	:	संलग्न है।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:	रूपये 5.00 प्रति वर्गमीटर की दर से 2500 वर्गमीटर के 12,500/रू.
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	:	1. चालान न.363 दिनांक 18.08.2007 राशि रूपये 6250/- 2. चालान न.362 दिनांक 18.08.2007 राशि रूपये 56250/-
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो,की जमा कराई गई राशि	:	चालान न.362 दिनांक 18.08.2007 राशि रूपये 56250/-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो,की जमा कराई गई राशि	:	शून्य

9.	यह आदेश निष्पत्तिकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	-
10.	अन्य विधिविधियों यदि कोई हो	इन्डियन रोड कांटेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुए।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत होगा :-

1. इन्डियन रोड कांटेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के गड्ढे से भूमि निम्नलिखित राज्यपत्र में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।
2. निकटस्थ स्थानीय निकाय की उप विधियों तथा शिक्षण व अनुसन्धान संस्थान का निर्माण बाबत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही शिक्षण संस्थान का निर्माण करवाया जा सकेगा।
3. संपरिवर्तित कुल भूमि का 40 प्रतिशत क्षेत्र बच्चों के खेलकूद की व्यवस्था एवं पार्क, वाहन पार्किंग के लिये खुला रखना होगा।
4. यदि संस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग से स्कूल तक जाने के लिये रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित सड़कों से स्कूल तक जाने के लिये रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
5. संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालन किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
6. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.6(6).राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जाये।

—
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलेक्टर, सीकर).

क्रमांक:-एफ.16(19)भू.रू/ग्रामीण/राजस्व/07/14305-13 दिनांक:- 21-9-07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज० जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर सभाग, जयपुर
3. उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ
4. तहसीलदार दातारामगढ नक्शा देस की प्रति सहित।
5. जिला राजस्व लेखाकार, कलेक्टर, सीकर
6. सरपंच, ग्राम पंचायत दांता
7. अध्यक्ष, श्री पुखराज पुत्र तुलसीराम एवं सचिव, रामनिवारा पुत्र रामलाल निवासी कुचामन हाल आबाद दांता
8. रक्षित पत्रावली

③
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलेक्टर, सीकर).